भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 512
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 03 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित राष्ट्रीय नीति

512. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योग संघों और निकायों के परामर्श से पूंजीगत वस्तुओं संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें इस क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) और (ख): जी, हां। पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के संयुक्त कार्यदल द्वारा राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। पूंजीगत वस्तु संबंधी राष्ट्रीय नीति के प्रारूप में पूंजीगत वस्तु के क्षेत्र की संभावना का पता लगाने तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण विनिर्माता के तौर पर स्थापित करने के लिए नीतियां और उपाय सुझाए गए हैं। नीति का प्रारूप भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट dhi.nic.in में शीर्ष: Announcements> Notifications> Draft National policy on Capital Goods के अंतर्गत डाला गया है।

http://dhi.nic.in/writereaddata/UploadFile/
DraftPaperNationalPolicyCapital.pdf

*****